न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 32/2019 (2019/00050)

पार्वती देवी पत्नि शम्भूसिंह जाति दरोगा निवासी ग्राम बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर।

---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जरें श्रीमान तहसीलदार केकडी जिला अजमेर।

--- अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

आदेश

दिनांक 16.12.2021

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर में प्रस्तुत हुई। प्रार्थीया/अप्रार्थीगण उपस्थित। उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थीया द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम बघेरा** की जमाबन्दी संवत **2073–76** में दर्ज अंकन निम्मानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:–

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
745–752	6180/1421 6181/1422	0.1282 0.21	बारानी 1 बारानी 1
	कुल किता 2	कुल रकबा 0.1है.	

उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थीया की खातेदारी की आराजीयात है। प्रार्थीया ही आराजीयात पर कब्जे काश्त कर पैदावार प्राप्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी प्रार्थीया की कब्जे काश्त, आधिपत्य ,स्वामित्व में है। प्रार्थीया ही मौके पर काविज है तथा काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थीया की उक्त आराजीयात की सीमाएं अस्पष्ट हो गई है। प्रार्थीया आज से चार–पांच महिने पहले भी अप्रार्थीगण संख्या 11 को अपनी खातेदारी की आराजीयात में बाड करने से मना किया तो नहीं माने व प्रार्थी से लडाई झगडा पर उतारू हो गये। प्रार्थीया ने दिनांक 21.1.2019 को प्रतिवादीगण के कार्यालय में सीमाज्ञान हेतु आवेदन किया लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । इसलिये पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित होये। उन्हें सुना गया। अप्रार्थीगण को पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। पेरोकार सरकार द्वारा आदेशिका पर अंकित किया है कि पत्थरगढी करने से राजहित प्रभावित नहीं होता है।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.17 13:51:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम बघेरा की जमाबन्दी संवत 2073–76 के खाता संख्या नया पुराना 745–752 खसरा नम्बर 6180/14211 रकबा 0.1282 है. बारानी 1 एंव खसरा नम्बर 6181/1422 रकबा 0.21 है. किस्म बारानी 1 की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 16.12.2021 को केम्प बघेरा मजमे आम मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.17 13:51:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner